

## Regarding restoration of Old Pension Scheme-laid

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): दिनांक 1 जनवरी 2004 के बाद देश में नियुक्त 70 लाख से अधिक शिक्षक एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर शेयर बाजार पर आधारित नई पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया, जिसमें किसी का भी बिल्कुल हित नहीं है। नई पेंशन व्यवस्था से निहित वर्तमान समय में सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षक एवं कर्मचारियों को मात्र 850 रूपये से 1243 रूपये तक की पेंशन दी गयी है जिसके कारण सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षक एवं कर्मचारी आज आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। पुरानी पेंशन देश के कार्मिकों का संवैधानिक हक है, जो उसे संबंधित विभागीय सेवा की ऐवज में आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के रूप में दिया जाता है। आज सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था और देश के योग्य बेरोजगार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध होगा। नई पेंशन व्यवस्था व निजीकरण पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था है। नई पेंशन व्यवस्था एवं निजीकरण के प्रति देश के शिक्षक एवं कर्मचारियों में अत्यंत रोष व्याप्त है। 70 लाख से अधिक शिक्षक, कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पैरामेट्रिक फोर्स के सैनिकों के भविष्य की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा हेतु नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुनः पुरानी पेंशन योजना को लागू करें।